॥ शुभास्ते पन्थान: सन्तु ॥

कार्मिक एवं प्रशासन विभाग

RSRTC
PRESENTATION

कार्मिक/प्रशासन विभाग के अधीनस्थ अनुभागों का विवरण

- कार्मिक शाखा व प्रशासन शाखा
- सचिव शाखा
- अपील/जॉच शाखा
- विज्ञापन शाखा / सम्पति शाखा
- जनसम्पर्क शाखा
- श्रम/कल्याण एवं औघोगिक सम्बन्ध शाखा
- सुरक्षा/सतर्कता शाखा
- केयर टेकर शाखा

विभाग संरचना

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

- उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)
- उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)
- सचिव
- कार्यकारी प्रबन्धक (विज्ञापन)
- कार्यकारी प्रबन्धक (सम्पत्ति)
- कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क)
- कार्यकारी प्रबन्धक (सुरक्षा एवं सर्तकता)
- कार्यकारी प्रबन्धक (आई. आर.)

निगम में दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में संवर्गवार कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र0सं0	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अधिकारी	449	165	284
2	लेखा	367	118	249
3	यांत्रिक	273	77	196
4	भंडार	212	102	110
5	प्रशासन	1611	615	996
6	यातायात (चैकिंग)	479	105	374
7	मेकेनिक	4619	1504	3115
8	चालक	6709	5577	1132
9	परिचालक	7906	5768	2138

निगम में आगामी 5 वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों की सूचना

वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
संख्या	927	900	811	935	774

निगम में मुख्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित 51 संचालित, 5 गैर संचालित आगार/यूनिट एवं 3 केन्द्रीय कार्यशालाएं हैंः–

- ❖ संचालित आगार (Operating Depot)
  - अजमेर ,अजयमेरु ,ब्यावर ,भीलवाडा ,डीडवाना ,नागौर,
  - बीकानेर , अनूपगढ , गंगानगर , हनुमानगढ , सरदारशहर,
  - अलवर , भरतपुर , धौलपुर , हिण्डौन , लोहागढ , मत्स्यनगर , तिजारा , करौली,
  - डीलक्स जयपुर ,दौसा ,कोटपूतली (शाहपुरा यूनिट), वैशालीनगर , विद्याधरनगर,
  - जोधपुर , आबूरोड ,बाडमेर ,फालना ,जालौर ,पाली ,फलौदी , सिरोही , जैसलमेर
  - कोटा , बारां , बूॅंदी , झालावाड , टौंक , सवाईमाधोपुर,
  - सीकर, चूरु, झुन्झूनू , खेतडी, श्रीमाधोपुर,
  - उदयपुर , बांसवाडा , डूॅंगरपुर , चित्तौडगढ, राजसमन्द , प्रतापगढ,
- ❖ गैर संचालित आगार (Non-Operating Depot)
  - सीबीएस, जयपुर, सीबीएस,अजमेर, दिल्ली, अहमदाबाद एवं इन्दौर,
- ❖ केन्द्रीय कार्यशालाएं
  - जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर।

जोनल मैनेजर व्यवस्था

क्र.सं.	जोन का नाम	आवंटित ईकाई का नाम
1.	भरतपुर	भरतपुर आगार, लोहागढ आगार, धौलपुर आगार, हिण्डौन आगार, करौली आगार, अलवर आगार, मत्स्यनगर आगार, तिजारा आगार
2.	जयपुर	जयपुर आगार, वैशालीनगर आगार, डीलक्स आगार, विद्याधरनगर आगार, कोटपूतली आगार, देहली आगार, दौसा आगार, सीबीएस जयपुर आगार, केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर, शाहपुरा यूनिट
3.	सीकर	सीकर आगार, खेतडी आगार, झुन्झूनू आगार, चुरु आगार, श्रीमाधोपुर आगार
4.	बीकानेर	बीकानेर आगार, अनूपगढ आगार, श्रीगंगानगर आगार, हनुमानगढ आगार, सरदारशहर आगार

क्र.सं.	जोन का नाम	आवंटित ईकाई का नाम
5.	कोटा	कोटा आगार, टौंक आगार, बॅूदी आगार, झालावाड आगार, बारां आगार, सवाईमाधोपुर आगार
6.	उदयपुर	उदयपुर आगार, बांसवाडा आगार, चित्तौडगढ आगार, डॅूगरपुर आगार, अहमदाबाद, प्रतापगढ आगार, राजसमन्द आगार
7.	अजमेर	अजमेर आगार, अजयमेरु आगार, सीबीएस अजमेर आगार, ब्यावर आगार, डीडवाना आगार, भीलवाडा आगार, नागौर आगार, केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर
8.	जोधपुर	जोधपुर आगार, आबूरोड आगार, बाडमेर आगार, फालना आगार, फलौदी आगार, जालौर आगार, पाली आगार, सिरोही आगार, केन्द्रीय कार्यशाला, जोधपुर

कार्मिक शाखा व प्रशासन शाखा

श्रीमती ममता यादव (RAS), उप महा प्रबन्धक (प्रशासन) के अधीनस्थ शाखाएं एवं संपादित किये जाने वाले कार्यः

- संस्थापन /अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य
  - प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी/कर्मचारी।
  - कार्मिक विभाग द्वारा पे बैण्ड 15600 से 39100, ग्रेड–पे 5400 व इससे उच्चतर वेतन श्रंखला के समस्त अधिकारी।
  - मुख्य प्रबन्धक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
  - मंत्रालयिक संवर्ग
  - यांत्रिक संवर्ग
- चयन शाखा से संबंधित कार्य
  - सीधी भर्ती –निगम में वर्ष 2013 के पश्चात किसी भी पद पर सीधी भर्ती नहीं हुई है।
  - अनुकम्पा नियुक्ति– निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को माह अप्रेल 2019 से जनवरी 2020 तक 68 विभिन्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्तियां दी गई हैं।
- प्रशासनिक सुधार शाखा
- स्टाफ कार

- वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) –ग्रेड पे 4200/– तक के अधिकारी/कर्मचारी
- विभागीय पदोन्नति समिति (DPC)–दिनांक 01.04.2019 से 31.01.2020 तक कुल 293 अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गई हैं।
- सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)
- वीआईपी शाखा

सचिव शाखा

श्री रिजू जैकब, निगम सचिव/उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

- ❖ निगम मण्डल की बैठक आयोजित करवाना एवं संबंधित कार्य।
- ❖ विधान सभा प्रश्न, आश्वासन इत्यादि कार्य।
- ❖ राजकीय उपक्रम समिति एवं अन्य विधायी समितियों से सम्बन्धी कार्य ।
- ❖ विभागाध्यक्षों एवं मुख्य प्रबन्धकों की बैठकों का आयोजन।
- ❖ मानव संसाधन विकास शाखा (पदों के क्रमोन्नयन,सृजन एवं प्रशिक्षण कार्य)।

- सूचना के अधिकार के नोडल आफिसर।

- ACB एवं अन्य गंभीर प्रकरणों में (3 साल पूर्ण होने पर) गठित कमेटी की अनुशंसानुसार कार्यवाही करना।

- प्रशासन लेखा प्रकोष्ठ।

- टेलीफोन संस्थापन संबंधी कार्य ।

- कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा समय समय पर सम्पत्ति की खरीद–फरोख्त आदि की सूचना व वार्षिक सम्पत्ति पत्र विवरण ।

जांच–अपील शाखा

❖जॉच अधिकारियों की अनुबंध पर नियुक्ति एवं विभागीय जॉचों की मोनेटरिंग करना ।

❖अनुशासनिक अधिकारी (जोनल मैनेजर/मुख्य प्रबन्धक) द्वारा कर्मचारियों की विरूद्ध पारित किये गये निर्णयों की मोनेटरिंग।

❖ विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय के स्तर से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में पारित दण्डादेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में सक्षम अधिकारी/गठित निगम संचालन मण्डल कमेटी द्वारा अपील सुनने संबंधी कार्यवाही करना।

❖ कर्मचारी की जॉच पूर्ण पत्रावली में सम्बन्धित अनुशासनिक अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता होने अथवा अन्य अपरिहार्य कारणोंवश से पूर्ण जॉचों पर निर्णय नहीं कर सकने पर, प्राधिकृत अनुशासनिक अधिकारी नियुक्त करना।

❖वर्तमान में निगम में 14 अनुबन्धित जांच अधिकारी कार्यरत हैं।

विभागीय जाँचों की स्थिति

लम्बित विभागीय जाँचों की संख्या	**2039**
दिसम्बर 2019 में संपादित विभागीय जाँचों की संख्या	**360**
पूर्ण जाँच पत्रावलियों पर पारित निर्णयों की संख्या	347
लंबित निर्णयों की संख्या (31.12.2019)	1402

विज्ञापन शाखा

श्री प्रमोद कुमार तैलंग, कार्यकारी प्रबन्धक, इस शाखा के प्रभारी हैं:

- निगम की बसों पर विज्ञापन का अनुबन्ध कर आय की प्राप्ति।
- निगम बसों की छत पर लघु पार्सल सेवा का संचालन कराकर आय प्राप्ति।
- निगम बस स्टैण्डों/कार्यशालाओं पर होर्डिंग्स, पिल्लरबोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, यूनिपोल एवं एलईडी टीवी पर विज्ञापन के माध्यम से केन्द्रीकृत व्यवस्था कर अच्छी आय प्राप्त होने की संभावना तलाश करने के प्रयास किये जा रहे हैं। निविदा प्रक्रिया जारी है।
- निगम भूमि पर मोबाईल टावर, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट लगाने का अनुबन्ध कर गैर संचालन आय की प्राप्ति।
- निगम बस स्टैण्डों पर स्टाल/कियोस्क बनाकर लाईसेन्स फीस पर देना।
- मार्ग पर यात्रियों के जलपान की सुविधा हेतु होटल/ढाबों पर निगम वाहनें रोकने हेतु अनुबन्ध कर, ठहराव शुल्क प्राप्त करना।
- बस स्टैण्डों पर उपलब्ध अतिरिक्त स्थान पर पार्किंग की सुविधा देकर आय प्राप्त करना।

❖ विज्ञापन शाखा से होने वाली प्रमिमाह गैर संचालन आय का संक्षिप्त विवरणः—

- कैन्टिन स्टॉल्स से प्राप्त आय प्रतिमाह — 100.07 लाख रूपये।
- विज्ञापन से प्राप्त आय प्रतिमाह — 66.27 लाख रूपये।
- मोबाईल टावरों से किराये की आय प्रतिमाह — 7.92 लाख रूपये।
- बस स्टैण्डों पर होर्डिंग्स आदि से आय प्रतिमाह — 10.47 लाख रूपये।
- बस स्टैण्डों पर एलईडी आदि से आय प्रतिमाह — 2.88 लाख रूपये।
- अनुबंधित होटल ढ़ाबों से आय प्रतिमाह — 20.22 लाख रूपये।

योग — 207.83 लाख रूपये प्रतिमाह

सम्पति शाखा

श्री दीपेश कुमार नागर, कार्यकारी प्रबन्धक (सम्पति) को आवंटित कार्य

- निगम की अचल सम्पति की सूचनाः–
  - राज्य में परिवहन निगम की 128 जगह अचल सम्पति है। जहां पर निगम के बस स्टैण्ड, कार्यशाला एवं आगार कार्यालय स्थापित हैं।
  - परिवहन निगम के स्वामित्व के वर्तमान में 95 बस स्टैण्ड हैं जहां से निगम वाहनों का संचालन किया जा रहा है।
- निगम की विभिन्न सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय करने संबंधी कार्य, निगम के बस स्टेण्डों पर जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है।
- भूमि के विकास एवं निर्माण कार्य पूरा होने पर सम्पत्ति को उपयोग हेतु आगारों को सौंपने एवं उनका नियंत्रण सम्बन्धी कार्य।
- निगम के बस स्टेण्ड, कार्यालयों एवं कार्यशालाओं हेतु भवन किराये पर लेने तथा खाली पडे निगम परिसर को किराये पर देने संबंधी कार्य।
- बस स्टेण्डों पर सुलभ कॉम्पलेक्स तथा बस स्टेण्डों पर निगम द्वारा बनवाये गये शौचालय एवं मूत्रालय एवं बस स्टेण्ड परिसर की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य का मोनेटरिंग ।

- निगम की चल–अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य।
- बस स्टेण्डों पर यात्री सुविधाओं का रखरखाव तथा जन सुविधाओं से संबंधी अभाव अभियोग एवं शिकायतों का निराकरण आदि का कार्य।
- बस स्टेण्डों पर दानदाताओं द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु वाटर कूलर एवं प्याऊ लगवाये जाने की अनुमति का कार्य।
- विभिन्न स्थानों पर ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा निर्मित बस स्टेण्डों को किराये पर लेने तथा विभिन्न दानदाताओं द्वारा बस स्टेण्ड के लिए भूमि/भवन का दान प्राप्त करने संबंधी कार्य।
- दानदाताओं से भूमि/भवन बस स्टेण्ड हेतु दानस्वरूप देने के प्रस्ताव पर निगम को बस स्टेण्ड हेतु प्राप्त होने वाली भूमि की उपयोगिता आदि के लिए समिति से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्णय करवाया जाने संबंधी कार्य।
- निगम द्वारा अपने आगार कार्यालयों/बस स्टेण्डों पर पेट्रोल पम्प हेतु स्थान आवंटित करने सम्बन्धी कार्य। वर्तमान में 7 स्थानों पर विभिन्न सरकारी तेल कम्पनियों को पैट्रोल पम्प हेतु भूमि लाईसेंस फीस पर दी हुई है तथा अन्य स्थानों पर दिये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- सम्पत्ति शाखा के लोक सूचना अधिकारी।

जनसम्पर्क शाखा

श्री सुधीर भाटी, कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) को आवंटित कार्य:

निगम में जनसम्पर्क शाखा का गठन किया हुआ है, जिसके प्रभारी कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) हैं इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं:—

- समाचार—पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार से लाईजनिंग सम्बन्धी कार्य।
- जनसम्पर्क शाखा से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी।
- निगम की गतिविधियों, कार्यकलापों एवं नई योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य साधनों के माध्यम से आमजन से सम्पर्क बनाये रखने व प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कार्य।
- निगम द्वारा आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेन्स सम्बन्धी कार्य।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिस्वीकृत पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पद्क विजेता खिलाड़ी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, पुलिस गेलेन्ट्री अवार्ड विजेता व्यक्ति को बसों में निःशुल्क एवं रियायती यात्रा के लिये स्मार्ट कार्ड बनाने व नवीनीकरण करने सम्बन्धी कार्य।
- लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिस्वीकृत पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पद्क विजेता खिलाड़ी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, पुलिस गेलेन्ट्री अवार्ड विजेता व्यक्ति को बसों में निःशुल्क एवं रियायती यात्रा के लिये स्मार्ट कार्ड बनाने व नवीनीकरण हेतु अधिकृत अधिकारी।

- ❖ वर्गीकृत विज्ञापनों, अग्रेसिव मार्केटिंग एवं सजावटी विज्ञापनों को बनवाना, प्रकाशन एवं भुगतान सम्बन्धी कार्य।
- ❖ इलेक्ट्रोनिक मीडिया व रेडियों पर विज्ञापन प्रसारण व भुगतान सम्बन्धी कार्य।
- ❖ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अलावा रोड़वेज स्थापना दिवस, उद्घाटन व शुभारम्भ समारोह आयोजन सम्बन्धी कार्य।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में निर्देशानुसार रोड़वेज सम्बन्धी स्टॉल इत्यादि लगाने की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य।
- ❖ निगम द्वारा आयोजित समारोह व अन्य अवसरों पर निर्देशानुसार फोटोग्राफी, विडियोग्राफी करवाने का कार्य।
- ❖ निगम अतिथियों के आवास–प्रवास की व्यवस्था।
- ❖ स्मारिका, ब्रोशर, पम्पलेट्स, हेण्डबिल, समय सारिणी एवं दूरभाष निर्देशिका आदि का प्रकाशन करवाने सम्बन्धी कार्य।

श्रम कल्याण एवं औद्योगिक संबंध शाखा

श्री अतुल कुमार सैनी, कार्यकारी प्रबन्धक (आई.आर.) इस शाखा के प्रभारी है इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैः–

- प्रबन्धन एवं कर्मचारियों व उनके श्रम संगठनों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने सम्बन्धी कार्य।
- औद्योगिक विवाद एवं उनका निवारण, मांग पत्र, समझौता, हडताल आदि सम्बन्धी कार्य।
- कर्मचारियों के स्थायी आदेश,उनके संशोधन एवं निर्वचन सम्बन्धी कार्य।
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, फैक्ट्री एक्ट एवं अन्य सम्बन्धित श्रम कानूनों से सम्बन्धित कार्य।
- कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य जैसे–ग्रेच्यूटी, ईएसआई, सीपीएफ ट्रस्ट में सदस्य मनोनयन सम्बन्धी कार्य, कर्मचारी कल्याण कोष से सहायता आदि।
- स्थाई आदेश से संबंधित समस्त कार्य।
- कर्तव्य पर रहते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर एवं परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत विशेष अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।
- खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवाना तथा अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी भेजना।

- कारखाना अधिनियम एवं फेक्ट्री एक्ट, 1948 के अन्तर्गत निगम की समस्त आगार कार्यशालाओं का पंजीकरण एवं प्रति वर्ष उनका नवीनीकरण करवाया जाना।
- मोटरयान श्रमिक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन निगम का पंजीकरण करवाया जाना।
- श्रम शाखा के लोक सूचना अधिकारी।
- उपरोक्त सभी प्रकार के कार्य समय सीमा में सम्पादित करने एवं इनकी मोनेटरिंग इस शाखा द्वारा की जाती है।
- निगम एक औद्योगिक ईकाई है जिसमें श्रम काननू लागू है जिसकी पूर्ण पालना की जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय परिवहन उपक्रम संस्थान के अनुरोध पर अन्तर राज्यीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना।
- जिन ईकाईयों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हैं वहां कर्मचारियों को ई.एस.आई. से चिकित्सा सहायता व अन्य परिलाभ दिलवाए जाने सम्बन्धी कार्य।

कर्मचारी कल्याण कोष योजना

- कर्मचारी कल्याण कोष योजना वर्ष 1987 से लागू है।
- प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में 65/–रूपये प्रति कर्मचारी तथा 35/– निगम अंशदान निगम द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष जमा कराया जाता है।
- प्रति मृतक सदस्य के आश्रित को 25000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैं।
- वर्ष 2000 से जुलाई 2019 तक 1554 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 25000/– रूपये प्रति सदस्य की दर से 3,88,50,000/– रूपये स्वीकृत कर आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
- वर्तमान में कर्मचारी कल्याण कोष खाते में 15,05,828/–रू0 राशि शेष जमा है।

केयर टेकर शाखा

<u>श्री दिलीप कुमार शर्मा, कार्यकारी प्रबन्धक (केयर टेकर) इस शाखा के प्रभारी हैं:</u>

मुख्यालय की केयर टेकर शाखा में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैः–

- मुख्यालय भवन रख–रखाव सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय भवन के कमरे, शौचालय, मूत्रालय, सम्पूर्ण परिसर आदि की साफ–सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य।
- निगम विश्राम गृह की व्यवस्था एवं उसके रखरखाव संबंधी कार्य।
- फोटोस्टेट मशीनों के संचालन एवं रखरखाव संबंधी कार्य।
- मुख्यालय भवन में पीने के पानी की व्यवस्था ,वाटर कूलर के रखरखाव संबंधी कार्य।

केयर टेकर शाखा

श्री दिलीप कुमार शर्मा, कार्यकारी प्रबन्धक (केयर टेकर) इस शाखा के प्रभारी हैं:

मुख्यालय की केयर टेकर शाखा में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैः–

- मुख्यालय भवन रख–रखाव सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय भवन के कमरे, शौचालय, मूत्रालय, सम्पूर्ण परिसर आदि की साफ–सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य।
- निगम विश्राम गृह की व्यवस्था एवं उसके रखरखाव संबंधी कार्य।
- फोटोस्टेट मशीनों के संचालन एवं रखरखाव संबंधी कार्य।
- मुख्यालय भवन में पीने के पानी की व्यवस्था ,वाटर कूलर के रखरखाव संबंधी कार्य।

सुरक्षा एवं सतर्कता शाखा

श्री दिलीप कुमार शर्मा, कार्यकारी प्रबन्धक (सुरक्षा एवं सतर्कता) :

- निगम के समस्त कार्यालयों/कार्यशालाओं/सम्पत्ति की सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।
- स्वेदनशील कार्यस्थलों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि जो कर्मचारी इन स्थानों पर तैनात है वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।
- जिन कार्य क्षेत्रों से आम जनता का सीधा सम्बन्ध है वहां यह सुनिश्चित करना कि जनता का किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है।
- निगम में सुरक्षा गार्ड से सम्बन्धित कार्य।
- सुरक्षा एवं सतर्कता शाखा के लोक सूचना अधिकारी।

धन्यवाद्

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, जयपुर